ISSN: 0973-0583

स्वातंत्र्योतर भारत में नारीवादी आन्दोलन और स्त्री चेतना का विकास

डॉ० निमिषा रानी सिंह

शोध सार

भारत में नारी सशक्तीकरण और स्त्री चेतना का इतिहास अत्यन्त समृद्ध और संघर्षपूर्ण रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जहाँ देश के नवनिर्माण की ओर कदम बढ़ाएँ गए, वहीं स्त्रियों ने भी अपने अधिकारों, अस्तित्व और समानता के लिए जागरूकता विकसित की। स्वातंत्र्योतर भारत में नारीवादी और स्त्री चेतना का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव का प्रतीक रहा है। यह आन्दोलन केवल लैंगिक समानता की माँग नहीं करता, बल्कि यह समतामूलक समाज के निर्माण की दिशा में भी प्रयासरत रहा है। नारीवादी सिद्धांतों का लैंगिक असमानता की प्रकृति एवं कारणों को समझना और उसके फलस्वरूप पैदा होने वाले लैंगिक भेदभाव की राजनीतिक और शक्ति संतुलन के सिद्धांतों पर इसके असर की व्याख्या करना।

भूमिका :

नारीवादी शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है। ''नारी'' का अर्थ है स्त्री और वाद का अर्थ है आन्दोलन या सिद्धांत। नारीवाद के अभिप्राय है महिलाओं से जुड़े या संबंधित आन्दोलन और सिद्धांत। नारीवाद शब्द स्त्रियों में एक चेतना को जगाता है, साथ ही नारीवादी व्यवस्था को बदलने के लिए सक्रिय भी करता है। नारीवादी सिद्धांत, नारीवादी आन्दोलन से उभरी संघर्ष की गाथाएँ हैं जो महिलाओं के राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भिन्न-भिन्न स्थानों एवं परिस्थितियों से लड़ी गई थी। नारीवादी सिद्धांतों का लैंगिक असमानता की प्रकृति एवं कारणों को समझना और उसके फलस्वरूप पैदा होने वाले लैंगिक भेदभाव की राजनीतिक और शक्ति संतुलन के सिद्धांतों पर इसके असर की व्याख्या करना। भारतीय नारीवादी आन्दोलन की नींव स्वतंत्रता पूर्व युग में ही पड़ चुकी थी। 19वीं शताब्दी के राजा राम मोहन राय, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, पंडित रमाबाई, सावित्री बाई फूले जैसे सुधारकों ने स्त्री शिक्षा, सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह जैसे मुद्दों पर सुधार की माँग की। इस चरण में भारतीय महिलाएँ जाग्रृति और राष्ट्रवाद जैसी स्वतंत्रता आन्दोलन की विशेषताओं की समझ पाई। जहाँ एक तरफ विभिन्न राष्ट्रवादी और समाज सुधारकों द्वारा स्त्रियों की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए, वहीं दूसरी तरफ महिला संगठनों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, जिसमें प्रमुख हैं-भारतीय महिला संध (1919), भारतीय महिलाओं का राष्ट्रीय परिषद् और 1927 का अखिल भारतीय महिलाओं का सम्मेलन आदि। उस दौर में महात्मा गाँधी जी ने महिलाओं में आत्मविश्वास का संचार कर और उन्हें सार्वजनिक जीवन की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया। इन्होंने महिलाओं और पुरुषों को बराबरी के स्थान पर रखा। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और भौतिक विकास के लिए पुरुषों से सहयोग और बराबरी का अधिकार देने की बात कही।

भारत में महिला आन्दोलन विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न मुद्दों, पड़ावों और चुनौतियों से गुजरा। कभी समस्या सती प्रथा मुद्दों की थी तो कभी बाल विवाह की, कभी कन्या शिक्षा की समस्या तो कभी विधवा पुनर्विवाह की। समय-समय पर विभिन्न चरणों में नारीवादी आन्दोलन चलाए गए। स्वातंत्र्योतर भारत में स्त्री चेतना लाने के लिए भारतीय संविधान में स्त्रियों के समान अधिकार दिए गए, शिक्षा, मताधिकार, सम्पत्ति का अधिकार आदि, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर यह अधिकार सीमित रहे। संविधान ने महिलाओं को समानता, स्वतंत्रता और भेदभाव से मुक्ति जैसे अधिकार दिए, परन्तु समाज में व्याप्त पितृसत्तात्मक संरचनाओं ने इन अधिकारों को निष्क्रिय कर रखा है।

आजादी के बाद महिलाओं ने अपने विमुक्तिकरण के लिए अनेक नारीवादी आन्दोलन चलाए। अब महिलाओं ने अपनी समस्याओं के प्रति आक्रात्मक रूप से विरोध करना शुरू किया। इसी तरह का एक आन्दोलन 1948 में तेलंगाना में हुआ। यहाँ कि स्त्रियों ने अपने ऊपर किए जाने वाले मारपीट, जमींदारों, महाजनों और निजामों द्वारा किए जाने वाले शोषण का आक्रामक रूप से विरोध किया।

भूदान आन्दोलन में भी महिलाओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरूणा आसफ अली (1958 ई. में) दिल्ली नगर निगम की प्रथम महापौर चुनी गई। इन्होंने इस नगर निगम में बहुत सुधार किए। ये विभिन्न

संगठनों से भी जुड़ीं रहीं, जिसमें प्रमुख हैं- इण्डो सोवियत कल्चरल सोसायटी, ऑल इण्डिया पीस फाउण्डेशन तथा नेशनल फाउण्डेशन ऑफ इण्डियन वूमेन इत्यादि। इसी तरह 1970 में महिलाओं में महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में मूल्यवृद्धि के खिलाफ आन्दोलन में यूनाइटेड वीमेंस प्राइस राइज फ्रंट की स्थापना की। चूंकि मूल्य वृद्धि का सीधा असर महिलाओं पर हो रहा था। इसलिए स्त्रियों ने इसका प्रभावी रूप से विरोध करना शुरू किया।

आदिवासी भूमिहीन मजदूर और गैर आदिवासी स्थानीय जमींदार, साहूकार के अत्याचारों के विरुद्ध होने वाले आन्दोलनों में अपनी मुख्य भूमिका निभाई। इन्होंने शराब विरोधी आन्दोलन, शारीरिक हिंसा, ऋणग्रस्तता इत्यादि के विरोध में रैलियाँ निकाली और विरोध प्रदर्शन भी किए। स्त्रियों में जुझारूपन बढ़ता चला गया।

1972 में स्थापित सेवा (Sewa Self Employment Womens Assocation) स्त्रियों द्वारा महिलाओं द्वारा कार्यरत एक ट्रेड यूनियन है। इसके द्वारा परिवार में एक करने वाली धरेलू महिलाओं की मदद की जाती है। सेवा धर में काम करने वाली महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में जैसे सिलाई, कढ़ाई, कटाई, प्रेस रचना, टंकन, आशुलिपि इत्यादि का प्रशिक्षण देती है। यह महिला स्वरोजगार श्रमिकों का संगठन है।

1972-73 में शुरू होने वाला चिपको आन्दोलन यद्यपि एक पर्यावरणीय आन्दोलन था, लेकिन वन पारिस्थितिकी को बचाने के लिए महिला आन्दोलन के रूप में उभरकर सामने आया। इस आन्दोलन के उग्रदूतों में महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई, क्योंकि महिलाएँ ही इससे सबसे ज्यादा प्रभावित थीं। ग्रामीण महिलाओं के लिए अपने पर्यावरण को बचाना अपना आजीविका को बचाने जैसा था। 70 के दशक में ही गुजरात के नवनिर्माण में आन्दोलन की शुरुआत बढ़ते मूल्य, कालाबाजारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था। इसके हजारों मध्यमवर्गीय महिलाओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1975 में रोगामी महिला संगठन बनाया गया जिसमें मुख्य रूप से दलित महिलाओं और देवदासियों को प्राथमिकता दी गई। महाराष्ट्र में इसी वर्ष ''स्त्री मुक्ति संगठन'' और ''महिला समता सैनिक दल''बनाया, जिन्होंने दलित महिला के मुद्दों को उठाया। 1979 में महिला दक्षता समिति का गठन किया गया जिनकी स्थापना महिलाओं के सहयोग से की गई थी। स्त्री चेतना के बीजारोपण में महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, मनू भंडारी इत्यादि लेखिकाओं ने अपने साहित्य से भावनात्मक और सामाजिक संधर्ष को स्वर दिया। यह युग भारतीय नारीवादी आन्दोलन के लिए निर्णायक साबित हुआ।

स्वातंत्र्योतर भारत में व्याप्त विभिन्न प्रकार की समस्याओं को दूर कर उनमें चेतना के विकास के लिए कई कानून बनाए गए। जैसे राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति (1958-59), बाल विवाह अवरोध अधिनियम (1929), हिन्दू गोद और रख रखाव अधिनियम (1956), महिलाओं एवं लड़कियों के लिए (अनैतिक व्यापार पर रोक) अधिनियम (1956), दहेज प्रतिबंध अधिनियम (1961), धरेलू हिंसा अपराध अधिनियम, 2005 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कानून 2013 आदि।

कुछ बहुचर्चित केस ने स्वातंत्र्योतर भारत में नारीवादी चेतना को उत्तेजित किया। इस संदर्भ में शाहबानू केस की चर्चा करना लाजमी है। मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम (1985) जिसे आमतौर पर शाहबानू केस के नाम से जाना जाता है। भारत में एक विवादास्पद भरणपोषण मुकदमा था। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक पीड़ित तलाकशुदा मुस्लिम महिला को भरण-पोषण प्रदान करने के पक्ष में सुनाया था। इस फैसला को नारीवादियों ने खूब उछाला। 1980 का मथुरा बलात्कार केस ने भारतीय न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली पुलिस स्टेशन के परिसर में दो पुलिसकर्मियों ने एक युवा आदिवासी लड़की सथुरा के साथ बलात्कार किया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के बाद सार्वजनिक आक्रोश और विरोध प्रदर्शन हुए जिसके कारण अंततः आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1983 के द्वारा भारतीय बलात्कार करने में संशोधन करना पड़ता । तभी से यह नारा प्रमुख हो We want justice.

स्त्री चेतना जागृत करने में साहित्य एवं मीडिया की भूमिका भी प्रमुख है। मृणाल पाण्डे, मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान जैसी लेखिकाओं ने नारीवाद को साहित्य की मुख्यधारा में शामिल किया।

1990 के बाद वैश्वीकरण के दौर में सूचना तकनीक के विकास ने स्त्रियों को नए अवसर प्रदान किए हैं। सरकार शिक्षण के क्षेत्र में महिलाओं को आगे लाने के लिए प्रयासरत है। सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान कर एक सकारात्मक कदम

उठाया है। इससे महिलाओं का नौकरियों में अवसर प्राप्त हुआ है लेकिन अनेक चुनौतियाँ भी आई हैं। इस दौर में दलित आदिवासी और अल्पसंख्यक महिलाओं की शिक्षा की समस्याएँ केन्द्र में आई। दलित नारीवाद एक विमर्श कल्चर उभरा।

वर्तमान में नारीवादी आन्दोलन और स्त्री डिजिटल माध्यमों, सोशल मीडिया और वैश्विक विमर्शों से भी प्रभावित है। इस संदर्भ में मी टू आन्दोलन को देखा जा सकता है। ''मी टू'' आन्दोलन यौन उत्पीड़न और यौन हमले के विरुद्ध शुरू हुआ एक सामाजिक आन्दोलन है जो यौन अपराध के आरोपों को प्रकाशित करता है। ''मी टू'' (Me Too) पर इस संदर्भ में सबसे पहले यौन उत्पीड़ित एवं कार्यकर्त्ता हराना बर्क द्वारा सामाजिक जनसंचार माध्यम 'माई स्पेस' पर 2006 में प्रयुक्त किया गया था। इस आन्दोलन के उद्देश्य यौन उत्पीड़न लोगों की संवेदना और एकजुटता द्वारा सशक्त करना था। 2018 में यह आन्दोलन तेजी से फैला। इससे हालीवुड मीडिया और कॉर्पोरेट जगत की बहुत सी हस्तियाँ शिकार हुई।

स्त्रियाँ अब ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे मंचों पर खुलकर अपने अनुभव साझा करने लगी हैं। कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और एन.जी.ओ. के माध्यम से भी युवतियाँ नारीवाद को नई दिशा दे रही हैं। अब ट्रान्सजेण्डर समुदाय की महिलाओं को भी नारीवादी आन्दोलन में सम्मिलित किया जा रहा है। स्त्री चेतना अब केवल लैंगिक समानता तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें जाति, वर्ग, धर्म, पर्यावरण, शिक्षा, शरीर, कामुकता आदि विषय भी प्रकाशित होने लगे हैं।

इन तमाम प्रयासों के बावजूद महिलाओं में स्त्री चेतना का विकास हुआ है। अब वे अपने अधिकारों के प्रति सजग होने लगी हैं। वे अपने ऊपर किए जाने वाले जुल्म का विरोध करने में सक्षम हो सकी हैं। ये पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हो रही हैं। एक पढ़ी-लिखी महिलाएँ एक सुशिक्षित अलगी पीढ़ी को तैयार करने लगी हैं। आज नगरों की अनेक पढ़ी लिखी औरतें शिक्षित डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, क्लर्क, कम्प्यूटर टाइपिस्ट, सेल्स गर्ल एवं बहुराष्ट्रीय कंम्पनियों में अपना स्थान बना पाई हैं। दूसरों से आंगनवाड़ी तक उनकी भागीदारी बढ़ी है।

इन सब के बावजूद आज अधिकत्तर महिलाओं में चेतना का विकास नहीं हो पाया है। आज इन्हें अनेक तरह की बंदिशों को झेलना पड़ता है। आज भोजन, वस्त्र,शिक्षा आदि में लड़के-लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। बड़ी होने पर उनकी इच्छा के विरूद्ध विवाह कर दिया जाता। स्त्री के गर्भ से ही उत्पन्न पुरुष उसको हेय समझकर शिशु के रूप में उनका गला घोट दिया जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन तो नन्हीं जान की दुश्मन ही बन गई। जवान होने पर उन्हें पैसा देकर बेच दिया। उसको दासी बनाकर रखा।

अगर महिलाओं की राजनैतिक स्थिति को देखा जाए तो 10-15 प्रतिशत महिलाएँ ही क्रमश: विधानसभा एवं लोकसभा में पहुँच पाई हैं। राजनीति में उन्हें 33 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी बिल पारित करने के लिए विधेयक लाया गया जिसे तमाम राजनैतिक पार्टियों के विरोध के थपेड़े खाते रहा। अंतत: प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार ने इसे पारित कर दिया लेकिन यह तत्काल रूप से लागू न होकर अगले चुनाव तक के लिए टाल दिया गया।

आज स्त्रियों के आर्थिक अधिकार भी दोयम दर्जे की बनी हुई है। यद्यपि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में पिता की सम्पत्ति में पुत्री के समान अधिकार तो है, लेकिन संयुक्त पारिवारिक सम्पत्ति में उनका सांकेतिक हिस्सा है। पुत्रों के विपरीत पुत्रियों का संयुक्त परिवर में अपना समान अधिकार नहीं होता है। आज के वैश्वीकरण ने महिलाओं की समस्या बढ़ा दी है, उनका शोषण तुलनात्मक रूप से बढ़ गया है। निर्धन देशों की महिलाएँ वैश्वीकरण के कारण और शोषण की शिकार हो रही हैं। एक ही तरह के काम में पुरुष एवं महिलाओं से भेदभाव किया जा रहा है, दोनों की मजदूरी में भिन्नता है। वांछित नौकरी से महिलाओं को वंचित किया जा रहा है। आज भी महिला अशिक्षा और कुपोषण की शिकार है। बढ़ते हुए मशीनीकरण के कारण महिलाओं के रोजगार भी कम हुए हैं। आज कुछ लोग यह भी मानते हैं कि कारपोरेट आफिस में महिलाओं को शो पीस की तरह पेश किया जाता है। अधिकांश पुरुषों की यह धारणा होती है कि महिलाएँ बड़ी जिम्मेदारियाँ नहीं उठा सकती, सच्चाई तो यह है कि इस धारणा के बीज आज से हजारों हजार वर्ष पहले ही बोए जा चुके थे और महिलाओं की जिम्मेदारियाँ तक ही सीमित कर दी गई थी। हकीकत है कि पुरुषों के दिमाग में यह धारणा घर कर गई कि पुरुष ही है, जिन्हें व्यावहारिक ज्ञान होता है। बाद में उन्होंने ऐसी मानसिकता ही बना ली कि महिलाएँ सिर्फ घर गृहस्थी का ही काम कर सकती हैं। ज्यादातर पुरुष की तुलना में महिलाओं की

बड़ी जिम्मेदारियों के पक्ष में काम दिए जाते हैं। ज्यादातर पुरुषों सही मानते और समझते भी हैं कि उनकी तुलना में महिलाएँ कम काम करती हैं। ऐसी स्थिति में जहाँ उच्च पदों पर काम की अधिकता होती है वहीं दूसरी ओर उनकी उपयोगिता साबित नहीं होती है, सच तो यह है कि इसी कारण उन्हें बड़े पदों से वंचित रखा जाता है।

आमतौर पर बड़े पदों पर काम इतना ज्यादा होता है कि लोगों का अधिकांश समय दफतर में ही भेंट चढ़ जाता है, चूंकि महिलाओं के पास घर की अतिरिक्त जिम्मेदरियाँ होती हैं इसलिए लोग यह मन बैठते हैं कि वे लंबी अवधि तक काम नहीं कर पाती, हालांकि इस तरह के पुर्वाग्रह पुरुष आदमी द्वारा ही बनाया गया है। लेकिन सच्चाई नहीं है, क्योंकि हकीकत में यह है कि पुरुषों की तरह ही वे भी देर रात तक काम कर सकती हैं। बस जरूरत है उनका जिम्मेदारी सौंपने की। शारीरिक रूप से प्रकृति ने पुरुषों को महिलाओं से अधिक शक्तिशाली बनाया है। दोनों को बुद्धि बराबर दी है, फिर भी पुरुष मानते हैं कि महिलाओं में संवेदनशीलता ज्यादा होती है जिसके कारण उनमें निर्णय लेने की क्षमता पुरुषों से कम होती है।

जिस देश की नीव अहिंसा पर रखी गई है वहाँ लिंगभेद के आधार पर हिंसा को अंजाम दिया जाए, वह क्या शर्मसार करने वाली घटना नहीं है। आज भी अनेक घरों के चार दिवारी में महिला जेल की तरह शोषण कैदी के रूप में होती है। घरेलू हिंसा और क्रूरता महिला के साथ होने वाली विश्वव्यापी व्यवहार है। महिलाओं को मारना, पीटना, दहेज के लिए सताने या हत्या करना जैसे जघन्य अपराध तो घर के भीतर ही होते हैं। खासकर गाँव की बहुओं को मारना, पीटना, मानसिक यातना देना, गाली -गलौज करना, भूखा रखना, ताले में बंद करना, अमानवीय काम करवाना, यौन शोषण आम बात है।

आज महिलाओं में चेतना के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यक है। इस हेतु स्त्री शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। स्त्रियों में चेतना का विकास कर उन्हें सशक्त बनाना आज समय की माँग है। इसके लिए समाज में पुरुषों का सहयोगात्मक रवैया अपनाना आवश्यक है, साथ में इनमें महिलाओं की भागीदारी की भी अनिवार्यता है। महिला के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। इनका सम्मान किया जाना आवश्यक है। इसके लिए नैतिकता के दोहरे मानदंड को तोड़ना जरूरी है। इसके लिए समाजीकरण मूल्यों का ढाँचा बदलना होगा। यह शुरू होगा परिवार से। नारीवादी आन्दोलन एवं अन्य प्रयासों से स्त्रियों में चेतना का विकास अवश्य हुआ है, लेकिन इसमें आज भी सकारात्मक पहल की आवश्यकता है। अगर उनमें चेतना का विकास होगा तो वे सशक्त बन सकती हैं। इन्हें चेतना का विकास कर सशक्त बनाना पुरुषों की चुनौती नहीं है बल्कि यह इस सोच की चुनौती है जो गैर बराबरी पर आधारित है। यह समतावादी समाज की पहल है।

निष्कर्षः

अंत में यही कहा जा सकता है कि नारीवादी आन्दोलन और स्त्री चेतना का विकास एक लंबी और संघर्षपूर्ण प्रक्रिया है। यह आन्दोलन केवल अधिकारों की माँग नहीं करना, बल्कि यह व्यापक सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव की ओर संकेत करता है। आने वाले समय में समतामूलक बराबरी का दर्जा दिया जाए। नारी अपने स्तर पर अपने मानसिक विचार एवं सामाजिक स्तर पर कितना बदलाव ला सकती है, नारीवाद इस पर निर्भर करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूचीः

1. स्त्री विमर्श का कालजयी इतिहास संजय गर्ग, 2012, समसामयिक प्रकाशन, पृष्ठ 50-52
2. द सेकेण्ड सेक्स मिसेज डी व्यूवर, पेंगुइन क्लासिक प्रकाशन, 1949, पृष्ठ 20-30
3. द फेमिनिन मिस्टिक बेटी फाइडन, 1963, डब्ल्यू डब्ल्यू नार्टन एंड कंपनी, 1963, पृष्ठ 70-72
4. यौन राजनीति -केट मिलेट, 1970, रूडसेज प्रकाशन, पृष्ठ 90-91
5. क्या मैं औरत नहीं - बेल हुक्स, 1970, रूडसेज प्रकाशन, पृष्ठ 30-34
6. अनलेडीलाइक : एक फील्ड गाइड टू स्मैशिंग द पैट्रिआर्की एण्ड क्लेमिंग योर स्पेस,1993,क्रिस्टन कांगर और केरोलिना द हेयरिंग होल्ड प्रकाशन, पृष्ठ 22-26
7. कानून और असमानता : भारत में महिला अधि कारों की राजनीति, फ्लाविला एगनेस, ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, पृष्ठ 1-5
8. द ब्यूटी मिश, नाओमी वॉल्फ, नोवा पब्लिशिंग प्रकाशन, पृष्ठ 6-9